

प्रेषक,

सुमन सोलंकी
न्यायिक मजिस्ट्रेट सदर,
फर्रुखाबाद।

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

विषय-

एडमिन ए-2 द्वारा होम लोन पर की गयी आपत्ति निस्तारण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रार्थिनी द्वारा जो होम लोन लिया गया है, वह भूखण्ड क्रय करने हेतु तथा भवन निर्माण हेतु (उक्त दोनों कार्य हेतु) लिया गया है। जो कि निम्नवत है-

भूखण्ड खरीद हेतु 22,80,000/- (बाईस लाख अस्सी हजार रुपये, जोकि बैंक द्वारा सीधे विक्रेता बिजनौर इंजीनियरिंग कम्पनी के खाते में RTGS NO- **SBINR-52021012007321899** द्वारा दिनांक 20.01.2021 को भेजा गया है। प्रार्थिनी को बैंक से भवन निर्माण हेतु पहली किस्त रु० 10,00,000/- दस लाख दिनांक 06.04.2021 को खाते में प्राप्त हुई। प्रार्थिनी को बैंक से भवन निर्माण हेतु दूसरी किस्त रु० 6,65,000/- (छः लाख पैसठ हजार) रुपये दिनांक 28.07.2021 को खाते में प्राप्त हुई।

इस प्रकार प्रार्थिनी को कुल लोन 40,54,000/- (चालीस लाख चऊबन हजार) रुपये मात्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें बैंक द्वारा 1,09,000/- (एक लाख नौ हजार) रुपये बीमा के भी बैंक ने भी प्राप्त किये हैं। मेरे खाता संख्या 32483209878 जिसमें एस०बी०आई० बैंक फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) द्वारा होम लोन की उक्त धनराशि अन्तर्गत की गयी है। उसकी छः माह की प्रविष्टि का विवरण संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नक- प्रार्थिनी के खाते की छः माह की स्वयं प्रमाणित प्रविष्टि का विवरण

दिनांक-31.01.2022

भवदीया

(सुमन सोलंकी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट सदर
फर्रुखाबाद।

माननीय जनपद न्यायाधीश
वाक- 255/XV दिनांक- 31.01.2022

अनुमोदित

जनपद न्यायाधीश

कर्मचारी
31-01-2022